फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय जमवारामगढ़, जयपुर

अजयप्रताप सिंह बनाम शंकर सिंह व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या 65/2020

04–08–2020	प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री अरविन्द शर्मा ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया। अन्तरिम आदेश हेतु प्रार्थी के अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली, जमाबन्दी, का अवलोकन करने तथा दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ़ एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षों को जरिये अन्तरिम आदेश से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम रानियावास पटवार हल्का राहोरी तहसील जमवारामगढ़ मे स्थिति भूमि खसरा नं. 507, 511, 512, के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे, बेचान नहीं करें, मौके पर किसी प्रकार से कब्जा नहीं करें, प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा, रूकावट इत्यादि नहीं डाले, उक्त कार्य ना तो स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट से करवाये। उक्त आदेश पर कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में आगामी तारीख पेशी को पेश करें। पत्रावली दिनांक 25-09-2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधि… जमवारामग…

अजय प्रताप सिंह बनाम शंकर सिंह

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	3/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली मूलवाद के साथ दिनांक 11/2/25 को पेश हो।
	11/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली से सम्बन्धित मूलवाद में अन्तिम रूप से सुनवाई की जाकर निर्णित किया जा चुका है अतः अब इस स्थगन प्रार्थनापत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः इस स्थगन प्रार्थना पत्र को इस स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।